

11 दिसंबर, 2024

कार्यकारी आदेश 2024-03

## कामकाजी परिवारों के लिए आवास विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी आदेश

**जबकि**, आवास तक पहुंच इलिनॉय के शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी समुदायों के कल्याण के लिए आधारभूत चीजें हैं; और,

**जबकि**, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यापार वृद्धि, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और रोजगार सृजन में इलिनॉय की महत्वपूर्ण प्रगति, के साथ-साथ राज्य की मजबूत आर्थिक विकास योजना को परिणामी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक रणनीति के साथ जोड़ी जानी चाहिए; और,

**जबकि**, इलिनॉय में कार्यरत लोगों के लिए आवास की कमी निजी क्षेत्र में नौकरियों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है और मध्यम आय वाले आवास को विकसित करने की योजना नए और मौजूदा नियोक्ताओं के लिए एक परिसंपत्ति होगी, जो राज्य में प्रतिभावान कार्यबल को आकर्षित करने और विस्तार करने की तलाश में हैं; और,

**जबकि**, आवास की लागत परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं में से एक है, और मकान का स्वामित्व परिवारों के लिए धन संचय करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय में अभूतपूर्व आर्थिक विकास के बावजूद, आवास बाजार कामकाजी परिवारों के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान नहीं कर रहा है, तकरीबन एक तिहाई परिवार अपनी आय का 30% से अधिक आवास पर खर्च कर रहे हैं; और,

**जबकि**, पुरानी और अनावश्यक नौकरशाही प्रक्रियाएं महंगी हैं और गुणवत्तापूर्ण सुलभ आवास के निर्माण में बाधा डाल रही हैं; और,

**जबकि**, निम्न और मध्यम आय वाले इलिनॉय वासियों के लिए किफायती किराये के आवास और घर के स्वामित्व के मार्ग, आवास निरंतरता में स्थिर रहने की स्थिति तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे और आवास अस्थिरता और बेघरपन को कम करने के लिए राज्य के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे; और,

**जबकि**, किफायती घरों तक पहुंच निवासियों पर वित्तीय बोझ को कम करके अर्थव्यवस्था को स्थिर करती है, जीवंत समुदायों को बढ़ावा देती है, बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने में सक्षम बनाती है, और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है; और,

**जबकि**, इलिनॉय निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवास आपूर्ति और विकल्प का विस्तार करने के लिए स्थानीय और राज्य एजेंसियों और निजी क्षेत्र के संगठनों के बीच नवाचार और सहयोग की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, अधिक घरों के निर्माण से विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मौजूदा श्रम बाजार को समर्थन मिलेगा, राज्य में नई नौकरियां आएंगी, तथा अविकसित और/या निष्क्रिय संपत्तियों को पुनर्जीवित किया जाएगा; और,

**जबकि**, कम उपयोग की गई राज्य संपत्ति और राज्य संसाधनों का लाभ उठाना, निर्माण में अनावश्यक बाधाओं को कम करना, आवास उत्पादन के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना, तथा नई साझेदारियों और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों की खोज करना, आवास सामर्थ्य संकट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं; तथा,

**जबकि**, मेरे प्रशासन ने एक एड-हॉक मिसिंग मिडिल हाउसिंग सॉल्यूशंस शुरू किया सलाहकार समिति में आवास डेवलपर्स, निर्वाचित अधिकारी, आर्थिक विकास और गैर-लाभकारी नेता, क्षेत्रीय नियोक्ता और वित्तपोषण विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने आवास संबंधी सिफारिशों का एक मजबूत सेट विकसित किया;

**अब, इस आधार पर**, मैं, जे.बी. प्रिन्जकर, इलिनॉय का गवर्नर, इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, निम्नानुसार आदेश देता हूं:

1. राज्य भर में कामकाजी लोगों के लिए घरों की संख्या बढ़ाने के लिए आवास समाधानों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए इलिनॉय आवास समाधान के निदेशक (निदेशक) की नियुक्ति की जाएगी, उदाहरण के लिए क्षेत्र की औसत आय का 80-140% कमाने वाले परिवार।
2. निदेशक, बेघरपन को कम करने तथा बेघरपन को रोकने और समाप्त करने के लिए इलिनॉय कार्यालय और इलिनॉय आवास विकास प्राधिकार (आईएचडीए) के कार्यों के माध्यम से कम आय वाले किफायती आवास के निर्माण में राज्य के मजबूत बुनियादी ढांचे और नेतृत्व का लाभ उठाएंगे।
3. निदेशक एड-हॉक मिसिंग मिडिल हाउसिंग सॉल्यूशंस सलाहकार समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार इस एड-हॉक समिति के सदस्यों को यह निर्धारित करने के लिए बुलाएंगे कि कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए और कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा क्या होनी चाहिए।
4. निदेशक, कार्यबल आवास विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनों या विनियमों में किसी भी आवश्यक परिवर्तन पर विचार करने के लिए इलिनॉय आम सभा के सदस्यों और स्थानीय नेताओं को शामिल करेंगे।
5. आईएचडीए और इलिनॉय वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डीसीईओ) प्राथमिक एजेंसी साझेदार होंगे, जो इलिनॉय में कार्यबल आवास सामर्थ्य संकट को दूर करने और आवास विकास के साथ आर्थिक विकास को बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए निदेशक के साथ काम करेंगे।  
निदेशक, आईएचडीए और डीसीईओ के परामर्श से करेगा:
  - a. निर्धारित करेगा कि वैकल्पिक आवास निर्माण विधियां, जिनमें छोटे घर, मॉड्यूलर घर और निर्मित घर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, किस प्रकार आवास की आपूर्ति को संभावित रूप से बढ़ा सकती हैं।
  - b. इलिनॉय में मौजूदा भूमि बैंकों के लिए राज्य की साझेदारी और समर्थन का विस्तार करना या नए भूमि बैंकों का विकास करना।
  - c. संभावित तकनीकी सहायता और संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना जो स्थानीय सरकारों, क्षेत्रीय नियोजन संगठनों और आर्थिक विकास संगठनों को क्षेत्रीय आवास आपूर्ति को बढ़ावा देने और आवास को आर्थिक विकास के साथ संरेखित करने में सहायता करती है।
6. निदेशक, राज्य पेंशन प्रणालियों के साथ मिलकर यह निर्धारित करेंगे कि पेंशन निधि कार्यक्रम और निवेश नीतियां किस प्रकार इलिनॉय में स्थित आवासीय अचल संपत्ति परियोजनाओं के पुनर्वास, पुनर्स्थापन और विकास के माध्यम से मजबूत वित्तीय लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य रख सकती हैं।

7. अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने वाली प्रत्येक राज्य एजेंसी को उसे कम उपयोग वाली संपत्तियों की सूची, जिसका आवास विकास के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोग किया जा सकता है, वाली एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस सूची में निदेशक द्वारा निर्धारित मानदंडों का उपयोग किया जाएगा और इसे 30 जून, 2025 तक निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा। निदेशक, एजेंसियों के परामर्श से, कम उपयोग की गई अचल संपत्ति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे तथा रणनीति तैयार करेंगे कि किस प्रकार राज्य के स्वामित्व वाली भूमि क्षेत्रीय कम उत्पादन की समस्या से निपटने में सहायक हो सकती है तथा आवास विकास के लिए व्यवहार्य हो सकती है।
8. निदेशक नियमित रूप से एक अंतर-एजेंसी कार्य समूह का आयोजन करेंगे, जिसमें आईएचडीए, डीसीईओ, गवर्नर का प्रबंधन एवं बजट कार्यालय, इलिनॉय केंद्रीय प्रबंधन सेवा विभाग, इलिनॉय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इलिनॉय राजस्व विभाग, इलिनॉय परिवहन विभाग, इलिनॉय प्राकृतिक संसाधन विभाग, तथा आवश्यकतानुसार अन्य अतिरिक्त एजेंसियां शामिल होंगी।
9. यह अंतर-एजेंसी कार्य समूह उन प्रमुख नौकरशाही बाधाओं की पहचान करेगा जो आवास विकास प्रक्रिया में अनावश्यक लागत, देरी और अनिश्चितता को बढ़ाती हैं तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना नीतियों, नियमों और नियामक प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए रणनीति विकसित करेगा। निदेशक 30 जून, 2025 तक गवर्नर कार्यालय को सिफारिशों का एक सेट प्रस्तुत करेंगे।
10. निदेशक आवश्यकतानुसार प्रमुख हितधारकों, स्थानीय नेताओं, विशेषज्ञों और एड-हॉक मिसिंग मिडिल हाउसिंग सॉल्यूशंस सलाहकार समिति के सदस्यों से नियमित रूप से परामर्श करेंगे।
11. निदेशक राज्य बेघरता प्रमुख के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यकारी आदेश से उत्पन्न गतिविधियां इलिनॉय में बेघर लोगों की संख्या को कम करने के राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप हों।
12. इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। जब तक इस आदेश में विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया जाता है, इस आदेश में कुछ भी किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा वैधानिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा या किसी राज्य की एजेंसी के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा।
13. यह कार्यकारी आदेश किसी भी पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान का अधिक्रमण करता है।
14. यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के प्रावधान विच्छेदनीय हैं।
15. यह कार्यकारी आदेश राज्य के सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) के पास प्रस्तुत करने पर तुरंत प्रभावी होगा और निरस्त होने तक लागू रहेगा।

---

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)  
राज्यपाल (गवर्नर)

11 दिसम्बर, 2024 को राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास दर्ज किया गया